रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

CENTRAL SECR... GOVT OF...

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 521] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 1982/कार्तिक 21, 1904
No. 521] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 1982/KARTIKA 21, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1982

का०आ० 800(अ):—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) की धारा 109ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पोषण निधि के प्रशासन और उसमें से प्रतिकर के संदाय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है:—

1—संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पोषण निधि स्कीम, 1983 है।

(2) यह 1 अक्तूबर, 1982 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

2—परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1939 (1939 का 4) अभिप्रेत है।

(ख) "प्राधिकरण" से खण्ड 3 के अधीन गठित पोषण निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "बाधा जांच अधिकारी" से किसी राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले में उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, या किसी राजस्व उपखंड या किसी तालुका का भारसाधक कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "दावा निपटान आयुक्त" से किसी राज्य में राजस्व जिले का जिला मजिस्ट्रेट, उप आयुक्त, कलक्टर या कोई अन्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है।

(ङ) "खंड" से इस स्कीम का खंड अभिप्रेत है।

(च) "प्ररूप" से इस स्कीम से उपवद्ध प्ररूप अभिप्रेत है।

(छ) "परिवहन आयुक्त" से परिवहन आयुक्त के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिवहन महानिदेशक, परिवहन निदेशक या परिवहन नियंत्रक होंगे।"

(ज) उन शब्दों और पदों के, जिनका इस स्कीम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु जिन्हें अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः उस अधिनियम और नियमों में है।

3—पोषण निधि प्राधिकरण—(1) पोषण निधि प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण होगा जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा, अर्थात्—

(क) संयुक्त सचिव (परिवहन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय ------अध्यक्ष

(ख) बीमा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय (बीमा पक्ष)। ------सदस्य

(ग) भारतीय साधारण बीमा नियम का एक नाम निर्देशिती, जो सहायक प्रधान प्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ------सदस्य

(घ) तत्समय भारत में साधारण बीमा कारबार करने वाली कंपनियों में से दो नाम निर्देशिती, जो सहायक प्रधान प्रबंधक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। ------सदस्य

(ङ) दो राज्यों के दो परिवहन आयुक्त जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। ------सदस्य

(च) निदेशक (वित्त खंड) नौ-परिवहन और परिवहन मंत्रालय। ------सदस्य

(छ) आयुक्त, तोषण निधि। ------सदस्य सचिव

(2) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

(3) किसी पद के आधार पर सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति तब सदस्य नहीं रहेगा जब वह उस पद पर नहीं रह जाता है।

(4) उपखंड (1) (घ) और (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों का पदावधि एक वर्ष होगी।

(5) आयुक्त, तोषण निधि, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और प्राधिकरण के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

4--सदस्यों और अधिकारियों का पारिश्रमिक--(1) सदस्यों को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाने वाली दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते के सिवाय कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा।

(2) शासकीय सदस्य यात्रा और दैनिक भत्ते ऐसी दरों पर लेंगे जो उन्हें उस स्रोत से अनुज्ञेय हों जहां से वे अपने वेतन लेते हैं।

5--प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य --प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात :--

(क) तोषण निधि की आवश्यकताओं का समय-समय पर निर्धारण और केन्द्रीय सरकार को समय पर निधियों के लिए निवेदन प्रस्तुत करना;

(ख) परिवहन आयुक्तों के व्ययताधीन रखी जाने वाली रकमों का समय-समय पर आवंटन :

(ग) आर्थिक बजट तैयार करना;

(घ) तोषण निधि के ऐसे धन का, जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं है, न्यास धन के विनिधान के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत विनिधान की रीतियों में से एक या अधिक में, जो प्राधिकरण उचित समझे, विनिधान।

(ङ) तोषण निधि के प्रशासन और उसमें से प्रतिकर के संदाय सम्बन्धी सभी अन्य विषय।

6--शक्तियों का प्रत्यायोजन--(1) प्राधिकरण अपनी सभी शक्तियां और कर्तव्य या उनमें से कोई कामकाज के तत्परता से और समुचित निपटारे के लिए अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण अपने कामकाज के संचालन के लिए समय-समय पर ऐसी उपविधियां विरचित और परिवर्तित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

7--प्राधिकरण के अधिवेशन--प्राधिकरण ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर अधिवेशन करेगा जो अध्यक्ष समय-समय पर इस निमित्त नियुक्त करे :--

परन्तु प्राधिकरण छह मास में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगा।

8--गणपूर्ति --गणपूर्ति कम से कम तीन सदस्यों से होगी.

परन्तु यदि किसी अधिवेशन में गणपूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष अधिवेशन को ऐसी तारीख तक के लिए, जो सात दिन से पूर्व की न हो, स्थगित करते हुए उपस्थित सदस्यों को यह जानकारी देगा और अन्य सदस्यों को यह सूचना भेजेगा कि वह स्थगित अधिवेशन में, चाहे उसमें गणपूर्ति हो या न हो, कामकाज का निपटारा करना चाहता है और तब वह ऐसे स्थगित अधिवेशन में कामकाज का निपटारा कर सकेगा।

9--बहुमत द्वारा विनिश्चय--प्रत्येक विषय उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा अवधारित किया जाएगा। मतों की संख्या बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक मत होगा।

10-अधिवेशनों की सूचना --(1) प्रत्येक सदस्य को ऐसे प्रत्येक अधिवेशन के लिए नियत समय और स्थान की, ऐसे अधिवेशन के कम से कम सात दिन पूर्व, सूचना दी जाएगी और प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन में निपटाए जाने वाले कामकाज की एक सूची दी जाएगी:

परन्तु जब अध्यक्ष द्वारा कोई अति-आवश्यक अधिवेशन बुलाया जाता है तब ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(2) किसी ऐसे कामकाज पर, जो कामकाज सूची में नहीं है अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना विचार नहीं किया जाएगा।

11--अधिवेशन का कार्यवृत्त--प्राधिकरण के प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियां सभी सदस्यों को परिचालित की जाएंगी और उसके पश्चात कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएंगी जो स्थायी अभिलेख के रूप में रखी जाएगी। प्रत्येक अधिवेशन की कार्यवाहियों के अभिलेख पर अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

12. आयुक्त, तोषण निधि, की नियुक्ति और उसके कर्तव्य-आयुक्त, तोषण निधि, अध्यक्ष और प्राधिकरण के साधारण नियंत्रण के अधीन प्राधिकरण की सभी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करेगा और अध्यक्ष को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करेगा। वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात :--

(क) प्राधिकरण के सभी अभिलेखों का अभिरक्षक होगा ;

(ख) प्राधिकरण की ओर से शासकीय पत्र-व्यवहार करेगा;

(ग) प्राधिकरण के अधिवेशन संयोजित करने के लिए सभी सूचनाएं जारी करेगा--

(घ) प्राधिकरण के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखेगा'

(ङ) प्राधिकरण की सम्पत्तियों और निधियों का प्रबन्ध करेगा,

(च) सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेगा जो प्राधिकरण उसे समनुदेशित करे।

13. प्राधिकरण के अन्य अधिकारी और कर्मचारी--प्राधिकरण ऐसे पद सृजित कर सकेगा और ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक समझे:

परन्तु प्राधिकरण ऐसा कोई पद, जिसका अधिकतम वेतन प्रतिमास एक हजार छह सौ रुपए से अधिक है, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही सृजित कर सकेगा।

14. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें--प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी होंगे और सभी विषयों में वे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बनाए सुसंगत नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

15. निधि का निक्षेप --प्राधिकरण द्वारा तोषण निधि के लिए प्राप्त सभी धन प्राधिकरण के उस लेखे में जमा किए जाएंगे जो सिंडीकेट बैंक ऑफ इण्डिया या उसके किसी समनुषंगी बैंक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जाएगा।

16 निधि से रकम का निकाला जाना --(1) भारकार मांगने की दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर क्षति के लिए प्रतिकर के रूप में संदेय रकम की प्रतिपूर्ति के प्रयोजन के सिवाय तोषण निधि से कोई रकम नहीं निकाली जाएगी।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं से धन का निकाला जाना ऐसी रीति से विनियमित किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए।

17. दावा निपटान आयुक्तों को निधियों का आवंटन—(1) प्राधिकरण निधियों की ऐसी मात्रा अवधारित करेगा जो प्रत्येक राज्य को आवंटित की जाएगी और राज्य के परिवहन आयुक्त के व्ययनाधीन ऐसी रकमें रखेगा जो समय-समय पर आवश्यक हो।

(2) परिवहन आयुक्त अपने व्ययनाधीन रखी गई निधियों में से दावा निपटान आयुक्तों को ऐसी रकम आवंटित करेगा जिसकी दावा निपटान आयुक्तों को समय समय पर आवश्यकता हो।

18 दावा निपटान आयुक्त—प्रत्येक दावा निपटान आयुक्त अपने जिले में भारकर मारने की मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों के निपटान के लिए उत्तरदायी होगा। दावा निपटान आयुक्त के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् :—

(i) परिवहन आयुक्त द्वारा उसके व्ययनाधीन रखे गए धन को पृथक लेखा में रखना;

(ii) तोषण निधि में से प्रतिकर के अनुदान के लिए आवेदनों पर दावा जांच अधिकारी से रिपोर्टें मंगाना;

(iii) प्रतिकर के संदाय के लिए आवेदनों पर आदेश पारित करना, और

(iv) प्रतिकर के संदाय के लिए उसके व्ययनाधीन रखे गए धन में से किए गए व्यय का प्रत्येक मास परिवहन आयुक्त को लेखा भेजना।

19. दावों की मंजूरी —(1) दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा निपटान आयुक्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर दावा मंजूर करेगा। जहां दावा निपटान आयुक्त को दावा जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की बाबत कोई संदेह हो वहां वह दावा जांच अधिकारी को अतिरिक्त जांच के लिए रिपोर्ट लौटा देगा और उसमें वे विनिर्दिष्ट बातें उपदर्शित करेगा जिनके सम्बन्ध में जांच की जानी है।

(2) दावा जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दावा निपटान अधिकारी दावा मंजूर करेगा और उस प्रभाव का आदेश प्ररूप 'ग' में पारित करेगा। वह मंजूरी आदेश की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजेगा, अर्थात् —

(क) दावा जांच अधिकारी,

(ख) राज्य का परिवहन आयुक्त,

(ग) सम्पृक्त जिले का मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण का अध्यक्ष। या विहित कोर्ट ट्रिब्यूनल गठित नहीं हुए हैं।

(3) दावा निपटान आयुक्त दावा मंजूर करने वाला मंजूरी आदेश और उसके साथ प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, चैक या बीजाना वाउचर के रूप में दावा जांच अधिकारी को भेजेगा।

(4) मृत्यु से उत्पन्न होने वाले दावे की दशा में संदाय मृतक के विधिक प्रतिनिधियों को किया जाएगा। और उपहति से उत्पन्न होने वाले दावों की दशा में संदाय क्षतिग्रस्त व्यक्ति को या जहां ऐसा व्यक्ति स्वयं हाजिर होने की स्थिति में नहीं है वहां संदाय क्षतिग्रस्त व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता को किया जाएगा।

(5) दावा जांच अधिकारी संदाय करते समय उस व्यक्ति से स्टाम्प लगी रसीद (रसीदें) प्राप्त करेगा।

20. दावा जांच अधिकारी—दावा जांच अधिकारी अपने उपखण्ड या तालुका में भारकर मारने की मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावों पर विचार करेगा। दावा जांच अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, अर्थात् —

(i) दावेदार से प्ररूप 'क' में आवेदन प्राप्त करना,

(ii) भारकर मारने की मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले दावे की बाबत जांच करना;

(iii) दुर्घटनाओं की बाबत पुलिस और चिकित्सा प्राधिकारी से रिपोर्टें मंगाना;

(iv) जहां एक से अधिक दावेदार हों वहां यह विनिश्चय करना कि अधिकारवान दावेदार कौन हैं;

(v) दावा निपटान आयुक्त को प्ररूप "ख" में रिपोर्ट और उसके साथ मंजूरी आदेशों के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना;

(vi) दावा निपटान आयुक्त से मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर दावेदार या दावेदारों को प्रतिकर की रकम संवितरित करना।

21. दावे का आवेदन करने के लिए प्रक्रिया—(1) दावेदार, जो तोषण निधि से प्रतिकर का दावा करता है, दुर्घटना की तारीख से एक मास के भीतर प्ररूप 'क' में आवेदन करेगा

(2) दावेदार से आवेदन करने के लिए किसी फीस का संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(3) आवेदन उस उपखंड तालुका के दावा जांच अधिकारी को किया जाएगा जिसमें दुर्घटना हुई है।

22. दावा जांच अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया—(1) दावे का आवेदन प्राप्त होने पर दावा जांच अधिकारी पुलिस प्राधिकारी से प्रथम इत्तला रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और उस चिकित्सा अधिकारी या डाक्टर से, जिसने क्षतिग्रस्त व्यक्ति की देखभाल की है, यथास्थिति, मृत परीक्षा रिपोर्ट या क्षति के प्रमाणपत्र की प्रति तुरन्त प्राप्त करेगा।

(2) जहां दावा निपटान आयुक्त ने कोई रिपोर्ट खंड 19 के उप खंड (1) के अधीन अतिरिक्त जांच के लिए दावा जांच अधिकारी को लौटाई है वहां दावा जांच अधिकारी ऐसी अतिरिक्त जांच करेगा जो आवश्यक हो और साठ दिन के भीतर दावा निपटान आयुक्त को उसके अन्तिम आदेशों के लिए रिपोर्ट पुनः प्रस्तुत करेगा।

(3) दावा निपटान आयुक्त से मंजूरी आदेश प्राप्त होने के पश्चात् दावा जांच अधिकारी मृत व्यक्ति/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि से या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता से, प्रतिकर का उसे संदाय करने के पूर्व वचनबंध प्राप्त करेगा

23. वार्षिक विवरणी का प्रस्तुत किया जाना—दावा निपटान आयुक्त राज्य के परिवहन आयुक्त को प्रतिमास प्ररूप "ङ" में विवरण प्रस्तुत करेगा। परिवहन आयुक्त प्राधिकरण द्वारा उसके व्ययनाधीन रखे गए धन में से किए गए व्यय का समेकित विवरण प्रत्येक तीन मास के पश्चात् प्राधिकरण को भेजेगा

24. वार्षिक रिपोर्ट—आयुक्त, तोषण निधि, प्राधिकरण के कार्य करण पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे प्राधिकरण के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखेगा। प्राधिकरण का अध्यक्ष उस वार्षिक रिपोर्ट को नौवहन और परिवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करवाएगा।

[फं०सं० टी ओ एम (28)/82]

जी०जे० मिश्र, संयुक्त सचिव

प्ररूप "क"

[खंड 21(1)]

लोक निधि में से प्रतिकर के लिए आवेदन का प्ररूप

*मैं ....., जो श्री ..... का
(नाम)

पुत्र/ की पुत्री/विधवा हूं और ..... (स्थान) ..... का निवासी हूं, मोटर यान दुर्घटना में घोर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हूं और मुझे हुई घोर क्षतियों के लिए प्रतिकर के अनुदान के लिए आवेदन करता हूं। जो क्षतियां मुझे हुई हैं उनकी बाबत आवश्यक विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :—

*मैं ....., जो श्री ..... का पुत्र/
(नाम)

की पुत्री/विधवा हूं और ..... (स्थान) ..... का/की निवासी हूं। श्री/श्रीमती/कुमारी ....., जो ..... का पुत्र/की विधवा/पुत्री थी, जिसकी/जिसको तारीख ..... को ..... स्थान पर मृत्यु हुई थी। /क्षतियां हुई थीं/ मृत्यु/क्षतियों के लिए प्रतिकर के अनुदान के लिए विधिक प्रतिनिधि/प्रभिकर्ता के रूप में आवेदन करता हूं। दुर्घटना की बाबत विशिष्टियां और अन्य जानकारी नीचे दी गई हैं :—

1. क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम (विवाहित स्त्री या विधवा की दशा में उस उसके पति का नाम) :
2. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति का पता
3. आयु ..... जन्म की तारीख
4. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति पुरुष है या स्त्री :
5. दुर्घतना का स्थान, तारीख और समय :
6. क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की उपजीविका
7. क्षतियों की प्रकृति :
8. जिस पुलिस थाने की अधिकारिता में दुर्घटना हुई थी या जिसमें दुर्घटना रजिस्टर कराई गई थी उसका नाम और पता :
9. जिस चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी ने क्षतिग्रस्त/मृत व्यक्ति की देखभाल की थी उसका नाम और पता :
10. दावेदार या दावेदारों के नाम और पते :
11. मृत व्यक्ति के साथ नातेदारी :
12. कोई अन्य जानकारी जो दावे के निपटान के लिए आवश्यक या सहायक समझी जाए।

मैं शपथ लेता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि ऊपर बताए गए सभी तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं।

दावेदार के हस्ताक्षर

*जो लागू न हो उसे काट दें।

प्ररूप "ख"

[खंड 20(4)]

दावा जांच अधिकारी द्वारा दावा निपटान आयुक्त को प्रस्तुत की जाने वाली दावा जांच रिपोर्ट

1. मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम और पता :
2. दुर्घटना का स्थान, समय और तारीख :
3. जिस पुलिस थाने में दुर्घटना रजिस्टर कराई गई थी और उसकी विशिष्टियां :
4. जिस चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा व्यवसायी ने मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति की परीक्षा की थी उसकी विशिष्टियां :
5. जिन व्यक्तियों को समन किया गया था और जिनकी परीक्षा की गई थी उनकी विशिष्टियां :
6. मारकर भागने की मोटर दुर्घटना द्वारा मृत्यु/क्षति का तथ्य सिद्ध हो गया है या नहीं और ऐसा निष्कर्ष निकालने के कारण :
7. प्रतिकर के संदाय के लिए पात्र दावेदार या दावेदारों के नाम और पते :
8. प्रतिकर की रकम, जिसकी दावेदार को संदाय करने की सिफारिश की गई है (एक से अधिक दावेदारों की दशा में वह रकम बताई जाएगी जिसके लिए प्रत्येक दावेदार पात्र है और उसके कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे) :
9. कोई अन्य जानकारी या अन्य अभिलेख जो दावे का निपटान करने के लिए सुसंगत या उपयोगी हों।

मुद्रा :
तारीख :

दावा जांच अधिकारी के हस्ताक्षर
और पदनाम :

प्ररूप "ग"

[खंड 19 (2)]

प्रतिकर की मंजूरी के आदेश का प्ररूप

दावा व्यवस्थापन आयुक्त जिला .....

आदेश

मैं ..... मारकर भागने की दुर्घटना के, जो ..... में ..... को
(स्थान का नाम) (तारीख)
हुई थी, परिणामस्वरूप ..... की मृत्यु/ ..... को हुई और उपहति की बाबत मृतक ..... के विधिक प्रतिनिधि के रूप में श्री/श्रीमति/कुमारी ..... को/ क्षतिग्रस्त ..... को/ क्षतिग्रस्त ..... के अभिकर्ता ..... को प्रतिकर के रूप में 5000/1000 (पांच हजार रुपए/एक हजार रुपए मंजूर करता हूं।)

दावा निपटान आयुक्त

प्रति :—

1. ..... जिले का दावा जांच अधिकारी।
5000/1000 रुपये की रकम ..... बैंक के चैक संख्या ..... द्वारा इसके साथ भेजी गई है जो ..... को प्रपत्र "ध" में उससे वचनबन्ध और स्टाम्प लगी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् दे दी जाए।

2. सम्पृक्त जिले के मोटर यान दुर्घटना दावा अधिकरण का अध्यक्ष।

3. राज्य का परिवहन आयुक्त।

प्रपत्र 'घ'

[खण्ड 22(3)]

वचनबन्ध

(मोटर यान अधिनियम 1939 की धारा 109ख के अधीन)

मैं/हम ..... मृतक/क्षतिग्रस्त .....
(नाम) (नाम)
के विधिक प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) के रूप में/के सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में वचनबन्ध करता हूं/करते हैं कि यदि मुझ/हमें
(नाम)
की मृत्यु पर या घोर उपहति की बाबत प्रतिकर के लिए किसी दावे के बदले या उसकी तुष्टि के रूप में मोटर यान अधिनियम, 1939 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन या अन्यथा कोई अन्य प्रतिकर दान किया जाता है तो मैं/हम .....
(नाम)
दावा निपटान आयुक्त के मंजूरी आदेश सं० ..... दिनांक ..... से ..... के अधीन मुझ/हमें प्रदान की गई प्रतिकर की रकम का प्रतिदाय ..... दावा निपटान आयुक्त के माध्यम से तोषण निधि प्राधिकरण, नई दिल्ली, को करूंगा/करेंगे।

मृत/क्षतिग्रस्त व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

प्रपत्र 'ङ'

(खण्ड 23)

मारकर भागने की दुर्घटनाओं से सम्बन्धित अन्य दावों के, जिनका विनिश्चय हो गया है, और दावा निपटान आयुक्त के व्ययनाधीन रखे गए धन में से किए गए व्यय के ब्यौरे दर्शित करने वाला ..... मास का विवरण

जिला/राज्य का नाम	पूर्व मास के अन्त तक लम्बित आवेदनों की कुल संख्या		दावा जांच अधिकारी को मास के दौरान प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	दावा जांच अधिकारियों द्वारा निपटान आयुक्त को प्रेषित आवेदनों की कुल संख्या	उन आवेदनों की कुल संख्या जिनका विनिश्चय निपटान आयुक्त ने मास के दौरान किया है।
	दावा जांच अधिकारी के पास	दावा निपटान आयुक्त के पास			
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)

लम्बित आवेदनों की कुल संख्या		परिवहन आयुक्त से प्राप्त कुल रकम	अदत्त प्रतिकर की कुल रकम	संवितरित प्रतिकर की रकम	टिप्पणियां
दावा जांच अधिकारी के पास	दावा निपटान आयुक्त के पास				
(6क)	(6ख)	(7)	(8)	(9)	(10)

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTTFICATION

New Delhi, the 12th November, 1982

S.O. 800(E).—In exercis of the powers conferred by sub-section (1) of section 109C of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), the Central Government hereby makes the following scheme for the purpose of the administration of the Solatium Fund and payment of compensation therefrom.—

1. Short title and commencement.—(1) This scheme may be called the Solatium Fund Scheme, 1982.

(2) It shall be deemed to have come into force from the first day of October, 1982.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1939 (1 of 1939);

(b) "Authority" means the Solatium Fund Authority constituted under clause 3;

(c) "Claims Enquiry Officer" means Sub Divisional Officer, Tehsildar, or any other officer in charge of a revenue sub-division or a Taluka in each revenue district of a State;

(d) 'Claims Settlement Commissioner" means the District Magistrate, the Deputy Commissioner, the Collector or any other officer in charge of a revenue district in a State;

(e) "Clause" means clause of this scheme.

(f) 'Form" means form annexed to this Scheme,

(g) Transport Commissioner" means an officer appointed as the Transport Commissioner and shall include the Director General of Transport, Director of Transport or the Controller of Transport, appointed by the State Government;

(h) words and expressions used but not defined in this Scheme but defined in the Act or the rules made thereunder shall have the meanings respectively assisned to them in that Act and rules.

3. Authority of the Solatium Fund.—There shall be an Authority to be called the Solatium Fund Authority consisting of the following members, namely:—

(a) The Joint Secretary (Transport) Ministry of Shipping & Transport.	Chairman
(b) The Controller of Insurance, Ministry of Finance, (Insurance Wing),	Member
(c) One nominee of the General Insurance Corporation of India, not below the rank of the Assistant General Manager, to be nominated by the Central Government.	Member
(d) Two nominees one each of insurance companies for the time being carrying on general insurance business in India, not below the rank of Assistant General Manager, to be nominated by the Central Government.	Member
(e) Two Transport Commissioners one each of two States, to be nominated by the Central Government.	Members
(f) The Director (Finance Division), Ministry of Shipping and Transport	Member
(g) The Commissioner, Salatium Fund	Member Secretary

(2) The Headquarters of the Authority shall be at New Delhi.

(3) The person appointed as a member by virtue of an office shall cease to be a member when he ceases to held that office.

(4) The term of office of the members nominated under sub-clause (1) (d) and (e), shall be for a period of one year.

(5) The Commissioner, Solatium Fund, shall be appointed by the Central Government, and shall function as the member secretary of the Authority.

4. Remuneration of members and officers.—(1) Members shall not be paid any remuneration except travelling and daily allowance at the rates to be determined by the Authority from time to time.

(2) Official members will draw travelling and daily allowance at the rates admissible to them from the scale from which they draw their salaries.

5. Powers and functions of the Authority.—The Authority shall perform the following functions:—

(a) assessment from time to time of the requirements of the Solatium Fund and timely submission of requests for Funds to the Central Government;

(b) Allotment, from time to time of amounts to be kept at the disposal of the Transport Commissioners;

(c) preparation of annual budget.

(d) investment of monies of the Solatium Fund, not immediately required, in any one or more of the modes of the investment for the time being authorised by law for the investment of the trust monies as the Authority may think proper,

(e) all other matters relating to the administration of the Solatium Fund and payment of compensation therefrom.

6. Delegation of Powers.—(1) The Authority may delegate all or any of its powers and functions to the Chairman for prompt and expeditious disposal of business.

(2) The Authority may frame, and vary, from time to time as it think fit byelaws for the conduct of its business.

7. Meetings of the Authority.— The Authority shall meet at such times and at such places as the Chairman may from time to time, appoint in this behalf:

Provided that the Authority shall meet at least once in six months

8. Quorum.—Not less than three members shall form a quorum:

Provided that if at any meeting there is no quorum, the Chairman may adjourn the meeting to a date not less than seven days later, informing the members present and sending notice to other members that he proposes to dispute of the business at the adjourned meeting, whether there is a quorum or not, and he may thereupon dispose of the business at such adjourned meeting.

9. Decision by Majority.—Every matter shall be determined by a majority of votes of the members present and voting. In case of equality of voter the Chairman shall have a casting vote.

10 Notice of meetings.—(1) Notice shall be given to every member of the time and place fixed for each such meeting at least seven days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at the meeting:

Provided that when an urgent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(2) No business which is not on the list of business shall be considered at a meeting without the permission of the Chairman.

11. Minutes of the meeting.—The proceedings of each meeting of the Authority shall be circulated to all members and thereafter recorded in a minute book which shall be kept as permanent record. The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman.

12. Appointment of Commissioner, Solatium Fund and his duties.— The Commissioner, Solatium Fund shall exercise all executive powers of the Authority under the general control of the Chairman and the Authority and shall assist the Chairman in the discharge of his functions. He shall perform the following duties.—

(a) be the custodian of all records of the Authority.

(b) Conduct the official correspondence on behalf of the Authority;

(c) to issue all notices for convening the meeting of the Authority;

(d) to keep minutes of all meetings of the Authority;

(e) to manage the properties and funds of the Authority;

(f) to exercise all other powers and execute such of the functions as may be assisned to him by the Authority.

13. Other officers and employees of the Authority.— The Authority may create any posts and appoint such officers and other employees as it may consider necessary for the discharge of its functions :

Provided that the Authority shall not create any post the the maximum salary of which exceeds rupees one thousand six hundred per mensem except with the previous approval of the Central Government.

14. Conditions of service of the officers and employees of the Authority.—The officers and employees of the Authority shall be the employees of the Central Government and shall be governed by the relevant rules and orders framed by the Central Government for its employees in all matters.

15. Deposit of fund.—All monies received towards the Solatium Fund by the Authority shall be credited to the account of the Authority to be opened in the Syndicate Bank or any of its subsidiaries or any other Nationalised Bank approved in this behalf by the Central Government.

16. Withdrawal from the Fund.—(1) No amount shall be withdrawn from the Solatium Fund except for the purpose of reimbursing the amount payable as compensation for death or grievous injury to a person as a result of hit and run accident.

(2) Withdrawal of monies from the accounts of the Authority shall be regulated in such manner as may be determined by the Authority from time to time.

17. Allocation of funds to the Claims Settlement Commissioners.—(1) The Authority shall determine the quantum of funds to be allotted to each State and shall place at the disposal of the Transport Commissioner of the State such amount as may be necessary from time to time.

(2) The Transport Commissioner shall allot to the Claims Settlement Commissioners such amount of the funds placed at his disposal, as may be required by the Claims Settlement Commissioners from time to time.

18. Claims Settlement Commissioner.—Every Claims Settlement Commissioner shall be responsible for the settlement of claims arising out of hit and run motor accidents in his district. It shall be the duty of the Claims Settlement Commissioner,—

(i) to keep the monies placed at his disposal by the Transport Commissioner in a separate account;

(ii) to call for the reports from the Claims Enquiry Officer on applications for grant of compensation from the Selatium Fund;

(iii) to pass orders on applications for payment of compensation; and

(iv) to send every month an account of the expenditure made out of the monies, placed at his disposal for peyment of compensation, to the Transport Commissioner.

19. Sanctioning of claims.—(1) On receipt of the report of the Claims Enquiry Officer the Claims Settlement Commissioner shall sanction the claim on the basis of the said report. Where the Claims Settlement Commissioner has any doubt in respect of the report submitted by the Claims Enquiry Officer, he shall return the report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry indicating the specific points in which the enquiry is to be made.

(2) After receipt of the report from the Claims Enquiry Officer, the Claim Settlement Commissioner shall sanction the claim and pass an order to that effect in Form "C". He shall send a copy of the sanction order to each of the following, namely.—

(a) the Claims Enquiry Officer;

(b) the Transport Commissioner of the State,

(c) the Chairman, Motor Vehicles Accident Claims Tribunal of the concerned district or Civil Court, where the Tribunal have not been Constituted.

(3) The Claims Settlement Commissioner shall send the sanction order sanctioning the claim to the Claims Enquiry Officer alongwith the amount of compensation by way of cheque or treasury voucher, as the case may be.

(4) In the case of a claim arising out of death, the payment shall be made to the legal representatives of the deceased. In the case of claims arising out of grievous hurt, the payment shall be made to the person injured or where such person is not in a position to appear personally, the payment may be made to any agent duly authorised by the person injured.

(5) The Claims Enquiry Officer shall obtain stamped receipt (s) from the person while making payments

20. Claims Enquiry Officer.—The Claims Enquiry Officer shall consider the claims arising out of hit and run motor accidents in his sub-division or taluqa. It shall be the duty of the Claims Enquiry Officer.—

(i) to receive applications in Form 'A' from the claiment;

(ii) to hold enquiries in respect of the claims arising out of his and run motor accidents ;

(iii) to call for reports from the police and medical authority in respect of the accidents ;

(iv) where there are more than one claimant, to decide as to who are the rightful claimants ;

(v) to submit report to the Claims Settlement Commissioner alongwith his recommendation for sanction orders in Form 'B' ;

(vi) to disburse the amount of compensation on receipt of the sanction order from the Claims Settlement Commissioner to the claimant or claimants.

21. Procedure for making the claim application.—(1) The claimant, claiming compensation from the Solatium Fund shall make an application in Form 'A' within one month from the date of the accident.

(2) The claimant shall not be required to pay any fee for making an application.

(3) The application shall be made to the Claims Enquiry Officer of the Sub-Division/Taluqa in which the accident has taken place.

22. Procedure to be followed by the Claims Enquiry Officer.—(1) On receipt of the claim application, the Claims Enquiry Officer shall immediately obtain a copy of the F.I.R., inquest report from the police authority and the pastmorten report, or as the case may be, the certificate of injury form the Medical Officer or the doctor, who has attended the injured person.

(2) Where the Claims Settlement Commissioner has returned any report to the Claims Enquiry Officer for further enquiry under sub-clause (1) clause 19, the Claims Enquiry Officer shall make such additional inquiries as may be necessary and resubmit the report to the Claims Settlement Commissioner within seven days for final orders.

(3) After receipt of the sanction order from the Claims Settlement Commissioner, the Claims Enquiry Officer shall obtain an undertaking in Form 'D' from the legal representatives of the deceased, injured person or his duly authorised agent, before making payment of compensation to him.

23. Submission of periodical return.—The Claims Settlement Commissioner shall submit every month a statement in Fodm 'E' to the Transport Commissioner of the State. The Transport Commissioner shall send a consolidated statement of the expenditure made out of the monies placed at his disposal by the Authority every three months to the Authority.

24. Annual Report.—The Commissioner, Solatium Fund, shall prepare an annual report on the working of the Authority, and place it before the Authority for its approval. The Chairman of the Authority shall cause the annual report

to be submitted to the Central Government for its inclusion in the annual report of the Ministry of Shipping and Transport.

[F. No. TGM (28)/82]

G. J. MISRA, Jt. Secy.

FORM 'A'

[Clause 81(1)]

Form of Application for Compensation from Solatium Fund

I, ———— son of/daughter of/widow of* Shri ———— residing at ———— having been grievously injured in motor vehicle accident hereby apply for grant of compensation for the grievous injuries sustained. Necessary particulars in respect of the injury sustained by me are given below :—

I, ———— son of/daughter of/widow of* Shri ———— residing at ———— hereby apply as a legal representative agent for the grant of compensation of death/injuries sustained by Shri/Shrimati/Kumari ———— son of/widow of/daughter of Shri ———— who died/had sustained injuries in a motor vehicle accident on———— at————. Particulars in respect of accident and other information are given below :—

1. Name and father's name of person injuries (husbands name in the case of married women or widow) ;
2. Address of the person injured/dead ;
3. Age ———— Date of birth ————
4. Sex of the person injured/dead ;
5. Place, date and time of the accident ;
6. Occupation of the person injuries/dead ;
7. Nature of injuries sustained ;
8. Name and Address of Police Station in whose jurisdiction accident took place or was registeded ;
9. Name and address of the Medical Officer/Practitioner who attended on the injured/dead :
10. Name and address of the claimant/claimants :
11. Relationship with the deceased :
12. Any other information that may be considered necessary or helpful in thte disposal of the claim :

I hereby swear and affirm that all the facts noted above are true to the best of my knowledge and belief.

SIGNATURE OF THE CLAIMANT

*Strike out whichever is not applicable.

FORM 'B'

[Clause 20(v)]

Claims Enquiry report to the submitted by the Claims Enquiry Officer to the Claims Settlement Commissioner

1. Name and address of the person dead/injured ;
2. Place, time and date of the accident ;
3. Particulads of the Police Station in which the accident was registered ;
4. Particulars of the Medical Officer/Practitioner who examined the dead/injured ;
5. Particulars of persons summoned and examined ;
6. Whether the fact of death/injury by hit and run motor accident has been established or not and the reasons for coming to that conclusion ;
7. The name and address of claimant(s)/eligible for payment of compensation ;
8. The amount of compensation recommended for payment to the claimant.

   (In case of more than one claimant the amount each one of the claimants is eligible and the reasons thereof shall be specied).
9. Any other information or records relevant or useful for the settlement of the claim.

Signature, designation of the Claims Enquiry Officer

Seal :

Date :

FORM 'C'

[Clause 19(2)]

Form of order of sanction of compensation

Claims Settlement Commissioner

District————

ORDER

I hereby sanction 5000 (Rupees Five thousand only) / 1000 (One thousand only) as compensation in respect of the death of ————/ grievous hurt to ———— resulting from hit and run motor accidents which took place at———— (name of place) on———— (date) to S/Shri/Shrimati/Kumari———— ———— as the legal representative of the deceased (— ————) to ———— injured to ———— ———— agent of ———— injured.

Claims Settlement Commissioner

To

(1) The Claims Enquiry Officer of District ————. The amount of Rs. 5000 / 1000 is sent herewith by cheque No. ———— on Bank ———— which any be paid to ———— after obtaining an undertaking from him/her in Form 'D' and also a stamped receipt from him/her.

(2) The Chairman, Motor Vehicles Claims Tribunal of the concerned District.

(3) The Transport Commissioner of the State.

FORM 'D'

[Clause 22(3)]

UNDERTAKING

(Under Section 109B of the Motor Vehicles Act, 1939)

I/We ———— as legal representative(s)/duly authorised agent of the deceased/injured ———— hedeby give undertaking that I/we shall refund the amount of compensation awarded to me/us under Sanction order No. ———— dated ———— by the Claims Settlement Commissioner ———— to the Solatium Fund Authority, New Delhi through the Claims Settlement Commissioner ————, in ase I/we/ am/are awarded any other compensation or amount in lieu of or by way of satisfaction of a claim for compensation in respect of death or grievous hurt to————under any other provisions of the Motor Vehicles Act, 1949 or any other law for the time being in force or otherwise.

Signature of the legal representative of the deceased/injured person or his duly authorised agent.

FORM 'E'

(Clause 23)

Statement showing details of claims relating to Hit and Run motor accidents decided and expenditure made out of monies placed at the disposal of Claims Settlement Commissioner for the month of————————.

Name of the District/State	Total number of applications pending at the end of previous month with the		Total number of applications received during the month by the Claims Enquiry Officer	Total Number of applications forwarded by Claims Enquiry Officers to the Claims Settlement Commissioner	Total Number of applications decided by the Claims Settlement Commissioner during the month.
	Claims Enquiry Officer	Claims Settlement Commissioner			
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)

Total number of applications pending with the		Total amount received from Transport Commissioner	Total amount of compensation granted	Total amount of compensation disbursed	Remarks
Claims Enquiry Officer	Claims Settlement Commissioner				
(6a)	(6b)	(7)	(8)	(9)	(10)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982